प्रेस की स्वतंत्रता :

प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता एक मौलिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मुद्रित और इलेक्ट्रानिक मीडिया, विशेष रूप से प्रकाशित सामग्री सहित विभिन्न मीडिया के माध्यम से संचार और अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से प्रयोग किये जाने का अधिकार माना जाना चाहिए।

विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित परम्परागत रूप से प्रकाशित अखबारों को प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रेस की स्वतंत्रता कहा जाता है।

भारत में प्रेस के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उत्पन्न होते हैं। प्रेस के पास कई तरह के अधिकार हैं, जिनमें प्रकाशित करने का अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, विज्ञापन देने का अधिकार, असहमति का अधिकार आदि शामिल हैं।

3 मई अथवा विश्वप्रेस स्वतंत्रता दिवस सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबध्दता का सम्मान करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। यह मीडिया जगत के लोगों के बीच प्रेस की स्वतंत्रता और कार्यक्षेत्र में नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन का दिन भी है।

इसके अधिकारों की चर्चा कुछ इस प्रकार है -

i) मानहानि और स्वतंत्र प्रेस (Defamation and Free press) :

जनसंचार माध्यमों और संचार के क्षेत्र में तक--नीकी क्रांति की प्रगति ने लिखित, मौखिक और दृश्य माध्यमों के द्वारा लाखों लोगों तक सूचना के प्रसार को सुगम बना दिया है। इससे व्यक्ति की मानहानि का जोखिम बढ़ जाता है।

किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचानेवाली कोई बात कहना या लिखना मानहानि कहलाता है। यह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 के अंतर्गत अपराध है। किसी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना, पाठ, चित्र, कार्टून, व्यंगचित्र या पुतलों के माध्यम से उसे घृणा का पात्र बनाना या अपमानित करना कानून के विरुद्ध है।

आम तौर पर समाचार पत्रों और प्रेस के सदस्यों पर व्यक्तियों की आलोचना करने

के लिये इस कानून के तहत मुकदमा चलाया जाता है। अगर आलोचना सद्भावना से की गयी हो या गंभीर सार्वजनिक हित के मामले से संबंधित हो, तो यह मानहानि का कार्य नहीं होगा। ~~मानहानि के बारे में अधिक जानकारी~~

ii) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression) :→

प्रेस और मीडिया को भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो किसी व्यक्ति को लिखने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने और सूचना प्रसारित करने के हैं। प्रेस को यह अधिकार भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 19(1)(ए) में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से प्राप्त है।

वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मौखिक रूप से, लिखित रूप में, मुद्रण द्वारा, चित्र द्वारा या किसी अन्य तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार शामिल है। इसमें संचार की स्वतंत्रता और अपने विचार को प्रचारित या प्रकाशित करने का अधिकार शामिल है।

संविधान के तहत उपलब्ध एकमात्र प्रतिबंध जो इस अधिकार पर लगाए जा सकते हैं, वे अनुच्छेद 19(2) के तहत दिये गये हैं, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, या अदालत

की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उचित प्रतिबंध लगाते हैं।

iii) प्रकाशन एवं प्रसार का अधिकार (Right to publi-sh and Circulate) :->

प्रेस को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, उसमें न केवल सूचना और विचारों को प्रकाशित करने का अधिकार शामिल है, बल्कि उन्हें प्रसारित करने का भी अधिकार शामिल है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) सहित कई मामलों में प्रसार की स्वतंत्रता को प्रकाशन की स्वतंत्रता जितनी ही आवश्यक माना गया है।

बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1972) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अख़-बारों को अपने पेज और सर्कुलेशन का फैसला खुद करने देना चाहिए। सकाल पेपर्स बनाम भारत संघ (1962) मामले में भी यही सिद्धांत बर-करार रखा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकते जो संविधान के तहत दी गयी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधे तौर पर उल्लंघन करते हों।

प्रेस के प्रसार के अधिकार में प्रसार की मात्रा तय करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। इस अधिकार पर तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिये गए उचित प्रतिबंधों के विरुद्ध हो,

जिसमें राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि शामिल है।

iv) राजद्रोह और असहमति का अधिकार (Sedition and the Right to Dissent) :→

प्रेस के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सरकार की आलोचना करने के साथ-साथ अलोकप्रिय या अपरंपरागत विचार रखने का अधिकार भी शामिल है। ऐसी आलोचना को रोकने के लिये आमतौर पर इस्तेमाल किया जानेवाला कानून भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124-ए के तहत राजद्रोह कानून के रूप में जाना जाता है।

जब कोई व्यक्ति भाषण, शब्दों या हाव-भाव के माध्यम से सरकार के प्रति घृणा या अवमानना या असंतोष भड़काने की कोशिश करता है, तो वह देशद्रोह का अपराध करता है। देशद्रोह के लिये तीन साल की जेल की सजा है, जिसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

हालाँकि प्रेस के खिलाफ राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करके आम तौर पर FIR दर्ज की जाती है। लेकिन न्यायालयों ने माना है कि सरकार या उसकी एजेंसियों के उपायों या कृत्यों पर कड़े शब्दों में टिप्पणी करना सरकार के प्रति बेवफाई के समान नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति द्वारा

classmate
Date 25/5/25
Page 17

प्रयोग किये गये शब्दों से लोगों में सरकार के प्रति शत्रुता और विश्वासघात की भावना उत्पन्न नहीं होती, तब तक यह राजद्रोह का कृत्य नहीं है।

v) सूचना प्राप्त करने का अधिकार (Right to Receive Information) :→

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में न केवल सूचना को व्यक्त करने, प्रकाशित करने और प्रसारित करने का अधिकार शामिल है, बल्कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है। प्रेस सहित भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार अधि-नियम, 2005 के माध्यम से सार्वजनिक निकायों से जानकारी मांगने का अधिकार है।

प्रेस सहित कोई भी नागरिक सूचना के लिये आवेदन कर सकता है और परियोजना बजट का विवरण, कार्यान्वयन की स्थिति, किसी भी सरकारी निकाय को की गयी किसी भी शिकायत/आवेदन की स्थिति जैसी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस तरह के आवेदन के रूप में जाना जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों के माध्यम से विभिन्न संदर्भों में सूचना के अधिकार पर चर्चा की है, जिसमें चुनावी उम्मीदवारों के बारे में जानने का मतदाताओं का अधि-कार, जीवन रक्षक दवाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का नागरिकों का अधिकार आदि शामिल है।

vi) साक्षात्कार आयोजित करने का अधिकार (Right to conduct Interviews) :→

साक्षात्कार आयोजित करने का अधिकार प्रेस का एक सीमित अधिकार है और इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब साक्षात्कार लेनेवाले व्यक्ति को स्वेच्छा से सहमति हो। सुप्रीम कोर्ट के कई मामले हैं जहाँ दोषियों या विचाराधीन कैदियों का साक्षात्कार करने के प्रेस के अधिकार की जाँच की गयी है।

प्रभा दत्त बनाम भारत संघ (1982) मामले में प्रेस जेल में कैदियों का साक्षात्कार करना चाह रहा था। न्यायालय ने माना कि प्रेस को सूचना का पूर्ण या अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है और साक्षात्कार केवल तभी लिया जा सकता है जब कैदी अपनी सहमति दे।

राज्य बनाम चारुलता जोशी (1999) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल में बबलू श्रीवास्तव का साक्षात्कार करने की अनुमति दी थी। लेकिन कहा था कि विचाराधीन कैदी का साक्षात्कार या फोटोग्राफ केवल तभी लिया जा सकता है जब उसने साक्षात्कार के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की हो।

vii) न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्ट करने का अधिकार (Right to Report court proceedings) :→

Date 25/5/25
Page 17

पत्रकारों को न्यायालय में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और न्यायालय में देखी और सुनी गयी कार्यवाही की विश्वसनीय रिपोर्ट प्रकाशित करने का अधिकार है। न्यायालयों के पास न्याय के हित में कार्यवाही के प्रचार को प्रतिबंधित करने का भी अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय के मामले नरेश श्रीधर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1966) में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया कि न्यायालय "बंद कमरे में कार्यवाही" कर सकते हैं, तथा जनता और प्रेस की पहुंच को प्रतिबंधित कर सकते हैं, जहाँ न्यायालय को लगता है कि यदि मामले की सुनवाई खुली अदालत में की गई तो न्याय विफल हो जायेगा।

सहारा रियल एस्टेट सेबी (2012) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालयों को न्याय के हित में सीमित अवधि के लिये प्रेस द्वारा रिपोर्टिंग स्थगित करने का आदेश पारित करने का भी अधिकार है।

प्रेस को संसद और राज्य विधान-सभाओं की विधायी कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने का भी अधिकार है, बशर्ते कि प्रकाशन में दुर्भावना न हो। यह अधिकार संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1977 में भी दिया गया है।

viii) विज्ञापन देने का अधिकार (Right to Advertise):→

भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद

19 (1) (a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतं-त्रता में विज्ञापन देने का अधिकार या वाणिज्यिक भाषण का अधिकार भी शामिल है। टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम एमटीएनएल (1995) के मामले में इस अधिकार को बरकरार रखा गया था।

हिंदुस्तान टाइम्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2003) में सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्व सृजन में विज्ञापनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की तथा बताया कि किस प्रकार उनका प्रसार पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार न्यायालय ने समा-चार पत्रों में विज्ञापन देने के अधिकार पर पुनः जोर दिया।

सकल पेपर्स बनाम भारत संघ (1962) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विज्ञापनों में कटौती भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है क्योंकि इसका समाचार पत्रों के प्रसार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

: प्रेस संबंधी कानून :

i) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 :→

यह अधिनियम प्रेस की स्वतंत्रता को बनाये रखने और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर में सुधार करने के लिये बनाया गया था।

ii) भारतीय दंड संहिता (IPC) :->

- धारा 124A (राजद्रोह): यह धारा सरकार की आलो-
-चना करने या असंतोष फैलाने के लिये इस्तेमाल की जाती है।
- धारा 499 (मानहानि): यह धारा मानहानि से संबंधित है, जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिये झूठे या अपमानजनक शब्दों का उपयोग शामिल है।

iii) प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 : यह अधिनियम प्रिंट मीडिया के पंजीकरण से संबंधित है।

iv) संसद तथा विधान मंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार : संसद और विधान मंडलों के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं।

v) न्यायालय की अवमानना : न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून भी प्रेस पर लागू होते हैं।

★ मुद्रण रेखा :-> समाचार पत्र में संपादक, मुद्रक, प्रकाशक, प्रेस एवं कार्यालय का नाम तथा पते का विवरण देने की परिपाटी।

★ प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :-

- संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी शामिल है।
- प्रेस को मुद्रित, प्रेषित और प्रसारित करने से पहले सेंसर नहीं किया जायेगा।
- प्रेस और पत्रकार कानून के दायरे में काम करेंगे और

राज्य द्वारा संरक्षित होंगे।

Q: प्रेस संबंधी मुख्य कानून कौन-कौन से हैं?

→ मानहानि संपादन
→ संसद तथा विधान मंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार संपादन
→ न्यायालय की अवमानना संपादन
→ प्रेस परिषद् अधिनियम संपादन
→ मुद्रण रेखा (print line) संपादन

☆ **प्रेस कानून** किताबों के लाइसेंस और प्रिंटिंग-प्रेस के सभी उत्पादों, विशेष रूप से समाचार पत्रों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित कानून है। प्रेस की स्वतंत्रता को हमेशा राजनीतिक लेखकों द्वारा सर्वोच्च महत्व दिया गया है।

Q: प्रेस कानून कब लागू हुआ था?

→ 1908 का प्रेस अधिनियम ब्रिटिश भारत में लागू किया गया कानून था, जिसके तहत सभी तरह के प्रकाशनों पर सख्त सेंसरशिप लगाई गयी थी।

☆ **प्रेस अधिकार :→**

संयुक्त राष्ट्र की 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कहा गया है: "प्रत्येक व्यक्ति को राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में हस्तक्षेप के

बिना राय रखने और सीमाओं की परवाह किये बिना किसी भी मीडिया के माध्यम से जानकारी और विचारों को प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता

✱ पत्रकार की क्षमता :

इसके लिये यह वास्तविक समझ भी आवश्यक है कि पत्रकारों के पास शक्ति होती है और उन्हें इसका जिम्मेदारी से उपयोग करने की सामाजिक जिम्मेदारी भी उठानी होती है। पत्रकारों के पास जनता की धारणाओं को प्रभा-वित करने की शक्ति है और साथ ही वे सच बोलने और लोगों की आवाज सुनने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं।

✱ धारा 13 के तहत शिकायतें

भारतीय प्रेस परिषद् एक स्वायत्त, सांविधिक, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है जिसे संसद द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाये रखने और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाये रखने एवं उनमें सुधार करने के दोहरे उद्देश्य का अधिदेश प्राप्त है। यह संवैधा-निक उद्देश्यों के अनुरूप जिम्मेदारी के साथ प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करती है और अपने सलाहकार तथा न्यायिक अधिकार क्षेत्र के जरिए रिपोर्टिंग के मानकों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत पीसीआई का शिकायत अनुभाग किसी पत्रकार या संपादक, समाचार पत्र या समाचार एजेंसी (प्रिंट मीडिया से संबंधित) द्वारा किसी संगठन या व्यक्ति या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ प्राप्त या दर्ज की गई शिकायतों पर कार्रवाई करता है, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता के अतिक्रमण, जिसमें पत्रकार पर किसी भी तरह का शारीरिक हमला या प्रहार या प्रेस को सुविधाओं से वंचित करना शामिल है।

(1) परिषद का उद्देश्य भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर बनाए रखने तथा उनमें सुधार करना होगा।

(2) परिषद अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात -

(क) समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों ~~और पत्री~~ की स्वतंत्रता बनाये रखने में उनकी सहायता करना

(ख) समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिये उच्च वृत्तिक स्तर के अनुसार एक आचार संहिता बनाना

(ग) यह सुनिश्चित करना कि समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से

Date 5/5/25
Page 25

लोक-रुचि के उच्च स्तर बनाये रखे जाएं और नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों दोनों की सम्यक भावना का पोषण करना;

(घ) उन सब व्यक्तियों में, जो पत्रकारिता वृत्ति में लगे हुए हैं, उत्तरदायित्व और लोकसेवा की भावना प्रोत्साहित करना

(ङ) ऐसी किसी भी बात पर जिससे लोकहित और लोकमहत्व के समाचार को प्रदाय और प्रसार का निर्बन्धन संभाव्य हो, विचार करते रहना।

(च) भारत में किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसियों द्वारा किसी विदेशी स्त्रोत से प्राप्त सहायता के मामलों का जिनके अन्तर्गत वे मामले भी हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिशित किये जाए या किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के संगम या अन्य संगठन द्वारा उसकी जानकारी में लाए जाएँ, पुनर्विलोकन करते रहना।

— 0 —